लय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार (आरएएस)

वाद संख्या :– 163 / 2019 निर्णय दिनांक :– 28.07.2022

उनवान

1. सुरज
2. रामनारायण पुत्रान् श्रीनारायण
3. सुरेश कुमार पुत्र जगदीश
4. गोपाल पुत्र कल्याण

समस्त जाति मीना, निवासी–ग्राम कौथून तहसील चाकसू जिला जयपुर।

––वादीगण

बनाम

1. शैतान पुत्र बद्री जाति मीना, निवासी ग्राम कौथून तहसील चाकसू जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0 ।

––प्रतिवादीगण

दावा बाबत् तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.12.14 12:32:18 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने वाद निम्न प्रकार से पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नंबर 248 रकबा 0.73 है0, खसरा नंबर 249 रकबा 0.48 है0, खसरा नंबर 250 रकबा 0. है0, खसरा नंबर 251 रकबा 0.09 है0, खसरा नंबर 252 रकबा 0.10 है0, खसरा नंबर 253 रकबा 0.29 है0, खसरा नंबर 254 रकबा 0.43 है0, खसरा

Scanned with CamScanner

नंबर 255 रकबा 0.42 है0, खसरा नंबर 256 रकबा 0.23 है0, खसरा नंबर 257 रकबा 0.06 है०, खसरा नंबर 258 रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 259 रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 260 रकबा 0.42 है0, खसरा नंबर 261 रकबा 0.34 है0, खसरा नंबर 262 रकबा 0.33 है0, खसरा नंबर 269 रकबा 0.10 है0, खसरा नंबर 270 रकबा 0.40 है0, खसरा नंबर 271 रकबा 0.09 है0, खसरा नंबर 272 रकबा 0.34 है0, खसरा नंबर 273 रकबा 0.26 है0, खसरा नंबर 274 रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 275 रकबा 0.11 है0, खसरा नंबर 276 रकबा 0.30 है०, खसरा नंबर 277 रकबा 0.23 है0 खसरा नंबर 278 रकबा 0.13 है0, खसरा कुल नंबर 279 रकबा 0.85 है0, खसरा नंबर 283 रकबा 0.03 है0 किता 27 कुल रकबा 7.02 है0 भूमि वाके ग्राम बृजपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर में स्थित है जो वाद में वादग्रस्त आराजी से संबोधित विवादित आराजी में वादीगण का राजस्व रिकार्ड अनुसार हक व हिस्सा तथा प्रतिवादीगण का हक व हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। जो अपने अपने हिस्सो के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा अपने अपने हिस्सेनुसार ही सरकार में शामिल में ही लगान अदा करवाते चले आ रहे है। वादीगण व प्रतिवादीगण का राजस्व रिकार्ड में हिस्सा निहित है। यह कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत रूप से तकासमा नहीं हुआ है यानि भूमि राजस्व रिकार्ड में शामिल में ही चली आ रही है। पक्षकारान मौके पर बाहमी बटवारा कर अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है तथा आराजी उपज का उपयोग व उपभोग शान्तिपूर्वक करते चले आ रहे है। विवादित आराजी का विधिवत तकासमा नहीं होने से प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर [illegible]जी एवं मजाहमत करते रहते है तथा वादीगण को बेदखल [illegible] रहे है तथा काश्त करने से मना करने लग जाते है जिससे वाद[illegible] के लिये आवश्यक हो गया कि वादग्रस्त आराजी में अपने हिस्से का विधिवत तकासमा करावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे। जिसका

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.12.14 12:32:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वादीगण कानूनन अधिकारी है।वादीगण अपने हिस्से की भूमि पर काश्त का काम कर रहा था तो दिनांक 09.07.2019 को मिन प्रतिवादीगण आये और वादीगण को काश्त करने से मना करने लग गये और कहा कि भूमि का तकासमा नहीं हुआ है हम तुम्हारे खेतो पर अब काश्त करेंगे। वादीगण ने बहुत समझाया की मैने काफी पैसे खर्च कर उपजाउ बना रखा है परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा जबरन नीचे खोद कर निर्माण कार्य करने पर आमादा हो रहे है। वादीगण के लिये आवश्यक हो गया कि वो वादग्रस्त आराजी में अपना हक व हिस्सा का विधिवत तकासमा करावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे। जिससे वो वादीगण को काश्त करने से नहीं रोके ना ही बेदखल करे, ना ही किसी तरह की दखलदाजी एवं मजाहमत पैदा न तो स्वयं करे ना ही भूमि का बेचान करे, ना ही किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य करे, ना ही अन्य से करावे। वादी के लिये वादकारण दिनांक 09.07.2019 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को काश्त करने से मना करने पर तथा भूमि का तकासमा नहीं होने के लिये कहने पर तथा सरेआम जबरन निर्माण कार्य करने की धमकिया देने पर उत्पन्न हुआ। जिससे वाद श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादी सं. 02 भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया है दावे में इनके खिलाफ कोई रिलिफ नहीं चाही गई है। वाद वादीगण पेश कर निवेदन है। दावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण तकासमा का डिक्री किया जाकर वादग्रत आराजी वर्णित आराजी भूमि खसरा नंबर 248 रकबा 0.73 है0, खसरा नंबर 249 रकबा 0.48 है0, खसरा नंबर 250 रकबा 0.19 है0, खसरा नंबर 251 रकबा 0.09 है0, खसरा नंबर 252 रकबा 0.10 है0, खसरा नंबर 253 रकबा 0.29 है0, खसरा नंबर 254 रकबा 0.43 है0, [illegible] 255 रकबा 0.42 है0, खसरा नंबर 256 रकबा 0.23 है0, [illegible] रकबा 0.06 है0, खसरा नंबर 258 रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 259 रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 260 रकबा 0.42 है0, खसरा नंबर 261 रकबा 0.34 है0, खसरा नंबर 262 रकबा 0.33 है0, खसरा नंबर 269 रकबा 0.10 है0, खसरा नंबर 270

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.12.14 12:32:18 IST
Reason: SelfAttested

office\CRT\suraj vs shetan docx
Scanned with CamScanner

रकबा 0.40 है0, खसरा नंबर 271 रकबा 0.09 है0, खसरा नंबर 272 रकबा 0.34 है0, खसरा नंबर 273 रकबा 0.26 है0, खसरा नंबर 274 रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 275 रकबा 0.11 है0, खसरा नंबर 276 रकबा 0.30 है0, खसरा नंबर 277 रकबा 0.23 है0 खसरा नंबर 278 रकबा 0:13 है0, खसरा कुल नंबर 279 रकबा 0.85 है0, खसरा नंबर 283 रकबा 0.03 है0 किता 27 कुल रकबा 7.02 है0 भूमि वाके ग्राम बृजपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर में वादीगण के हक व हिस्सा का विधिवत तकासमा किया जाकर अलग खाता व अलग लगान कायम किया जावें व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें की वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित न तो स्वंय करें और किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण करवाये, ना ही रोड डलवाये, ना ही रहन, बय, हस्तान्तकरण, दान करे, ना ही भूमि का बेचान करे, ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट आदि दीगर व्यक्तियों से करवायें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जारी की गयी वकील वादी ने कथन किया कि दावा तकासमें का है अतः नियमानुसार तकासमा किया जावें, अतः दावा तकासमें का होने से दावा वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर दिनांक 11.09.2019 को मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर तकासमा किये जाने के आदेश दिये जाकर तहसीलदार चाकसू को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निदेर्शित किया गया कि दोनो पक्षो की मोजूदगी में तकासमा प्रस्ताव बनाकर पेश करे, जिसकी पालना हेतु तहसीलदार चाकसू को पत्र कमांक राजस्व/19/4771 दिनांक 18.09.2019 के द्वारा लिखा गया, तहसीलदार चाकसू ने आदेश की पालना में कमांक भू. अ/2022/1720 दिनांक 24.02.2022 को कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवायी गयी जो शामिल पत्रावली किये जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन वकील वादी को करवाया गया तो वकील वादी ने कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन कर कथन किया कि कुर्रेजात रिपोर्ट सहमति से बनाये गये है जो सही है, उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.12.14 12:32:18 IST
Reason: SelfAttested

...धिकारी
(...जयपुर)

D:\Office\CRT\suraj vs shetan.docx

Scanned with CamScanner

कुर्रजात रिपोर्ट अनुसार दावा वादी डिक्री किये जाने की सहमति जाहिर करते हुये मुताबिक कुर्रजात डिक्री किया जाना जाहिर किया।

वकील वादी की बहस पर गौर किया व कुर्रजात रिपोर्ट एवं पत्रावली का परीक्षण किया गया तो कुर्रजात रिपोर्ट प्राथमिक डिक्री के अनुरूप बनाये गये हैं। वादी वकील द्वारा कुर्रजात रिपोर्ट पर किसी प्रकार से आपत्ति नही किये जाने से एवं कुर्रजात राजस्व मंडल के नियमानुसार बनाये जाने से दावा वादी मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट अनुसार डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

अतः वादी का वाद स्वीकार कर मुताबिक कुर्रजात डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है। कुर्रजात के अनुसार खाता व लगान पृथक पृथक किया जावें। नक्शा कुर्रजात निर्णय व डिक्री के पार्ट रहेंगे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.12.14 12:32:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner